क्र.सं.	राज्य	बेरोजगारी 1993-94
4.	बिहार	771
5.	गोवा	57
6.	गुजरात	325
7.	हरियाणा	143
8.	हिमाचल प्रदेश	116
9.	जम्मू और कश्मीर	74
10	कर्नाटक	383
11.	केरल	1139
12.	मध्य प्रदेश	431
13.	महाराष्ट्र	855
14.	मणिपुर	17
15.	मेघालय	4
16.	मिजोरम	2
17.	नागालैंण्ड	10
18.	उड़ीसा	381
19.	पंजाब	163
20.	राजस्थान	109
21.	सिक्किम	2
22.	तमिल नाडु	886
23.	त्रिपुरा	36
24.	उत्तर प्रदेश	711
25.	पश्चिम बंगाल	1228
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	8
27.	चण्डीगढ़	22
28.	दादर और नगर हवेली	1
29.	दमन और दीव	1
30.	दिल्ली	49
31.	लक्षद्वीप	4
32.	पाण्डिचेरी	17
	अखिल भारत	8994

स्त्रोत: एन एस एस ओ,50वें चक्र(1993-94) के मुख्य परिणाम ।

सामान्य प्रमुख स्थिति के आधार पर

श्रम न्यायालयों में दर्ज मामले

702. **श्री डी.पी.यादव**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 के अन्त तक देश के श्रमिक न्यायालयों में श्रमिकों की नियुक्ति एंव भुगतान संबंधित दर्ज मामलों की कुल संख्या कितनी हैं;

(ख) इनमें से निपटाये गये मामलों की संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि श्रमिकों के पक्ष में निर्णय दिये जाने के बावजूद भी श्रम न्यायालयों के आदेशों का सम्मान नहीं किया जाता हैं;और

(घ) यदि हां,तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी कार्रवाई की गई है ?

श्रम मंत्री (डा.सत्यनारायण जटिया): (क) और(ख) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में भुगतान और श्रमिकों की नियुक्ति से संबंधित पंजीकृत मामलों के संबंध में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं । अनुपत्र में वर्णित विवरण में वर्ष 1998 के दौरान (31.10.98 की स्थिति के अनुसार) औद्योगिक विवादों और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों द्वारा निपटाए गए आवेदनों की कुल संख्या दी गयी हैं । [**देखिए परिशिष्ट** 186,**अनुपत्र सं**. 13]

(ग) और(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 29 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर बाध्यकारी किसी समझौते अथवा पंचाट की किसी शर्त का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को 6 माह तक की अवधि तक के कारावास अथवा जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता हैं । औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 (म) के अन्तर्गत किसी पंचाट के अंतर्गत किसी नियोजक पर बकाया धनराशि की वसूली की रीती भी निर्धारित की गई है । कोई भी कर्मकार स्वंय अथवा अपनी ओर से लिखित में प्राधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अथवा कर्मकार की मृत्यु के मामले में,उसका नामिती अथवा उत्तराधिकारी वसूली की किसी अन्य रीति को ध्यान में रखे बिना अपनी बताया धनराशि की वसूली के लिए समुचित सरकार को आवेदन कर सकता है और यदि समुचित सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी कोई धनराशि देय है तो वह उस धनराशि की वसूली के जिए कलक्टर के लिए प्रमाण पत्र जारी करेगा जो उस राशि की भू-राजस्व के रूप में वसूली करने के लिए कार्रवाई करेगा। केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाइयां करते हैं कि केन्द्रीय क्षेत्र में पंचाटों को लागू किया जाता है ।